बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय

समेकित मुर्गी विकास योजना

पशुधन द्वारा
जीवन में गुणात्मक सुधार

समेकित मुर्गी विकास योजना के अन्तर्गत लेयर मुर्गी पालन को बढावा देने हेतु अनुदान की योजना के तहत 10,000 (फीड मिल सहित) एवं 5,000 लेयर मुर्गी क्षमता हेतु आवेदन करें

ऑनलाईन आवेदन हेतु वांछित कागजात

वांछित भूमि का साक्ष्य :	अद्यतन लगान रसीद/एल.पी.सी., लीज एकरारनामा, नजरी नक्शा
वांछित राशि का साक्ष्य :	पासबुक, एफ.डी., अन्य (प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ जिस पर राशि अंकित हो)
प्रशिक्षण :	सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। (न्यूनतम 5 दिवसीय)
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु :	जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षित रिक्ति हेतु आवेदन पत्र)
अन्य कागजात :	फोटो, आधार, वोटर आई.डी., पैन कार्ड, आवास प्रमाण–पत्र

प्राथमिकताएँ

लाभुकों का चयन क्रमशः स्वलागत एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुये **''पहले आओ, पहले पाओ''** के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

- **योजना :** वित्तीय वर्ष 2023–24 में "समेकित मुर्गी विकास योजना" के अन्तर्गत लेयर मुर्गी पालन को बढावा देने हेतु अनुदान की योजना "
- **कार्य क्षेत्र :** योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में।
- **आवेदन : विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् ऑनलाईन लिंक खुलने के 30 (तीस) दिनों के अन्दर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।**

  इच्छुक व्यक्ति इस योजना हेतु विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/ahd पर दिये गये लिंक पर जाकर अपने आधार संख्या/वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन के साथ सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाईन अपलोड करना होगा

स्वलागत/ऋण

आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वलागत से फार्म स्थापित कर सकते है। बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी।

क्र.	कोटि	लेयर मुर्गी फार्म की क्षमता	रिक्ति फार्म (इकाई में)	इकाई लागत (लाख रूपये में)	आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि (लाख रु में)		अनुदान		भूमि की आवश्यकता
					स्वलागत	बैंक ऋण	इकाई लागत का प्रतिशत	अधिकतम अनुदान (लाख रूपये में)	
1	सामान्य जाति	10,000	14	100.00	70.00	10.00	30 प्रतिशत	30.00	100 डिसमिल
		5,000	16	48.50	33.95	4.85	30 प्रतिशत	14.55	50 डिसमिल
2	अनुसूचित जाति	10,000	08	100.00	60.00	10.00	40 प्रतिशत	40.00	100 डिसमिल
		5,000	14	48.50	29.10	4.85	40 प्रतिशत	19.40	50 डिसमिल
3	अनुसूचित जनजाति	10,000	03	100.00	60.00	10.00	40 प्रतिशत	40.00	100 डिसमिल
		5,000	05	48.50	29.10	4.85	40 प्रतिशत	19.40	50 डिसमिल

- ऑनलाईन आवेदन भरने के पहले पूर्वाभ्यास हेतु मॉडल आवेदन पत्र विभाग के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/ahd से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।
- विशेष जानकारी संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना

PR. No. 006919 (Animal)D. 2023-24